न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-74/2020/भीलवाड़ा कैम्प

श्री जगदीश चन्द्र आत्मज श्री मदन लाल जी गौड़ उम्र 68 वर्ष निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)

. —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज श्री घीसा कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी नया तालाब तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा0, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 5/2015 फैसल आदेश दिनांक 15.12.2016

उपस्थित अभिभाषकः— श्री जगरीश दाधीच(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः—श्री गोपाल अजमेरा

निर्णय दिनांकः—03.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्ती बाबत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में रेस्पोडेंट प्रहलाद पिता घीसा कुमावत निवासी नया तालाब तहसील शाहपुरा जिला भीलवा़ड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसे ग्राम तहनाल तहसील शाहपुरा के हाल आराजी नम्बर 1809 रकबा 1.25 हे0 भूमिं दिनांक 30.01.2013 को आवंटित की गई थी। जबकि अपीलांट के अनुसार आवंटित भूमि पर अपीलांट का वर्षों से कब्जा है तथा आवंटित भूमि के चारो तरफ 3—4 फिट ऊंचाई तक डोल लगवा रखी है। अपीलांट भूतपूर्व सैनिक होकर शाहपुरा में निवास करता है। भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से उसने जिला कलक्टर भीलवाड़ा को भूमि आवंटन हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2004 को प्रस्तुत किया था। जो उन्होने आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को भिजवाया था। एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां वर्ष 2010 में भी प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन पटवारी द्वारा अपीलांट का कब्जा होने के बारे में टिप्पणी की गई थी। मगर इन सब बातों को छुपाकर रेस्पोडेंट ने दिनांक 30.01.2013 को विवादित भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करवा लिया। बिना अपीलांट का पुराना कब्जा हटाये विपक्षी रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया गया। मौके पर रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं है। आवंटन के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 को भूमि पेमुद नही की गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 30.01.2013 केवल मात्र कागजी आदेश है। जिसकी मौके पर आदिनांक पालना नहीं की। अपीलांट के प्रार्थना पत्र को प्रकरण संख्या 5/2015 के रूप में दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण पर बाद सुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने दिनांक 15.12.2016 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील में अपीलांट द्वारा निम्न आधार बताये गये है—

1. विवादित भूमि पर उसका कब्जा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

2. उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर भीलवाड़ा में उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को पत्र भिजवाया था। मगर सलाहकार समिति के सदस्यों की अनुपलब्धता तथा आवंटन हेतु कैम्प नहीं होने से अपीलांट के आवंटन की कार्यवाही जैर कार्यवाही रही। एक अन्य प्रार्थना पत्र सीधे उपखण्ड अधिकारी को 2010 में प्रस्तुत किया था। इसमें पटवारी ने अपीलांट का कब्जा माना था।

3. आवंटन के समय भूमि अनाधिवासीत भूमि नहीं थी। तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.12.2010 को अपीलांट के पक्ष में कब्जे के आधार पर आवंटन हेतु अनुशंषा की गई।

4. विवादित भूमि आज भी राज्य सरकार के नाम दर्ज है तथा आवंटन आदेश की पालना नहीं हुई। रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है।

5. अपीलांट भूतपूर्व सैनिक होने से भूमि आवंटन के लिए पात्रता रखता था। मगर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही न करके रेस्पोडेंट 1 को भूमि आवंटन किया गया जो गलत है। अपील स्वीकार की जायें तथा आवंटन आदेश दिनांक 30.01.2013 को खारिज किया जायें तथा अपीलांट के नाम आवंटन हेतु सलाहकार समिति को आदेश प्रदान किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 15.12.2016 से व्यथित होकर तत्समय अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 13.06.2017 को अपील प्रस्तुत की गई। जिसे 176/2017 नम्बर पर दर्ज किया गया। दिनांक 17.12.2019 को आरएए न्यायालय भीलवाड़ा से उक्त पत्रावली राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के द्वारा क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का होने से सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। जिसे न्यायालय हाजा में दिनांक 25.02.2020 को प्रकरण संख्या 74/2020 के रूप में दर्ज किया गया।

बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि कब्जा हमारा है। धारा 91 के नोटिस हमारे पास है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को भिजवाया था। मगर आवंटन के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं कर भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई है। रेस्पोडेंट अभिभाषक ने बहस में बताया कि अतिक्रमित भूमि भी अनाधिवासीत भूमि ही मानी जाती है। अतिक्रमी को आवंटन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वह पृथक कार्यवाही करें। कोई पत्रावली पैंडिंग नहीं है। कोई छल कपट नही किया गया। अब हम खातेदार कृषक है। पटवारी रिपोर्ट में हमें बोनाफाइट कृषक माना है। हमें नियमानुसार आवंटन किया गया है। रिब्युटल में वकील अपीलांट ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां पत्रावली 14(4) हेतु जब विचाराधीन थी इसी दौरान खातेदारी प्राप्त की है। भूमि को अनाधिवासीत बताकर फ्रॉड किया है। अपील को स्वीकार किया जायें।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा बहस के दौरान निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है– आरबीजे (13)2006 पेज 749 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल–आवंटन निरस्तीकरण–यदि आवंटन फ्रॉड मिसरिप्रेजेन्टेशन तथा तथ्य छुपकार प्राप्त किया गया हो तो खातेदारी अधिकार के बाद भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आरबीजे(13)2006 पेज 430 गीता बनाम राजस्थान राज्य–यदि भूमि का नियमन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया हो तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आरबीजे(9)200[illegible] पेज 148 सोहनकंवर बनाम राजस्व मण्डल अजमेर–यदि मूल आदेश मिसरिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया हो तो आने वाले आदेश भी रद्द होगें, प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:53 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2016 को पारित हुआ। इसके बाद अपीलांट के जवान पुत्र की मृत्यु हो गई थी। आदेश की जानकारी दिनांक 17.02.2017 को हुई। दिनांक 26.05.2017 को प्रतिलिपी प्राप्त हुई और उसके तत्काल बाद अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जायें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2016 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट प्रहलाद पुत्र घीसा निवासी नया तालाब शाहपुरा द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र भरा गया था। प्रार्थना पत्र के नीचे शपथ पत्र पर गोपाल कुमावत निवासी रूपपुरा और सत्यनारायण कुमावत निवासी शम्भूपुरा गवाह के रूप में अंकित है। पटवारी रिपोर्ट में ग्राम नया तालाब में आवंटी रेस्पोडेंट के पास 0.82 हे0 भूमि होना बताया है तथा रेस्पोडेंट को भूमि आवंटन किया जाना उचित बताया है। भू–अभिलेख निरिक्षक अरवड़ ने पटवारी रिपोर्ट को सही बताया है तथा भू–आवंटन सलाहकार कमिटी द्वारा रेस्पोडेंट प्रहलाद पुत्र घीसा कुमावत को ग्राम तहनाल की आराजी नम्बर 1809 के रकबा 1.25 हे0 आवंटन किये जाने की सिफारिस की गई थी। उक्त कमिटी में तहसीलदार , विकास अधिकारी, सरपंच ,प्रधान और विधायक उपस्थित रहें। अध्यक्षता उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा की थी। आवंटन दिनांक 30.01.2013 का है। आवंटित भूमि को पृथक से नक्शाट्रेस में लाल स्याही से अंकन किया हुआ है। दिनांक 13.01.2014 को आवंटी प्रहलाद को भूमि सुपुर्द की गई है। खसरा नो तोड़ पर आवंटी प्रहलाद एवं गवाह के तौर पर बालूराम व अन्य का नाम दर्ज किया हुआ पाया गया है। पटवारी द्वारा दिनांक 13.01.2014 को कब्जा दिया गया है। उसके हस्ताक्षर है तथा नामातंरण संख्या 1396 पर दर्ज किया गया है, यह अंकित है। भू–अभिलेख निरिक्षक ने दिनांक 03.02.2014 को यह टिप्पणी की है कि रिपोर्ट पटवारी मुताबिक रिकोर्ड व मौका सही है व कब्जा भी मौके पर दिया जा चुका है। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन कमिटी के माध्यम से बाद जांच नियमानुसार आवंटन किया गया है तथा आवंटन के बाद आवंटी को कब्जा सुपुर्द किया गया है। अतः अपीलांट की इस बात में कोई दम नहीं है कि आवंटी को कागजी तौर पर कब्जा दिया गया है तथा पेमुद नही की गई है। जहां तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो का संबंध है। उसके द्वारा प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर भीलवाड़ा तथा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को दिया जाना पाया जाता है तथा भूतपूर्व सैनिक होने से उसे भूमि आवंटन प्राप्त करने का हक भी है। मगर उक्त कार्यवाही पृथक कार्यवाही है। आवंटन हेतु उदघोषणा जारी होने के पश्चात उसे आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जो उसके द्वारा नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट अभिभाषक ने बहस में बताया कि रेस्पोडेंट खातेदार कृषक है और ऐसे मामलों में फ्रॉड, मिसरिप्रेजेन्टेशन के आधार पर ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसी किसी बात की पुष्टि नही होती है कि आवंटी द्वारा आवंटन हेतु फ्रॉड, मिसरिप्रेजेन्टेशन या तथ्य छुपाया गया है। समुचित विश्लेषण के बाद यह पाया जाता है कि रेस्पोडेंट आवंटी को नियमानुसार भूमि आवंटन किया गया था। अतिक्रमी द्वारा धारित भूमि को भी आवंटन हेतु अनाधिवासीत भूमि के रूप में ही माना जाता है। आवंटी द्वारा कोई फ्रॉड मिसरिप्रेजेन्टेशन या तथ्य नही छुपाये गये है। स्वयं अपीलांट ने रेस्पोडेंट द्वारा खातेदारी प्राप्त कर ली गई है यह बहस में बताया है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:53 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 5/2015 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) उनवानी जगदीश चन्द्र बनाम प्रहलाद व अन्य निर्णय दिनांक 15.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:53 IST
Reason: SelfAttested